प्रारूप 2.2

A 2.2-1

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग -2 देहरादून: दिनांक 31 दिसम्बर, 2010

विषय:- राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न 24 कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र/कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा के द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणनों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र/कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौडी/अल्मोड़ा के द्वारा संलग्न विवरणानुसार 24 विभिन्न कार्यों, के निर्माण पर प्रशासकीय अनुमोदन देते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 378.63 लाख ( ₹ तीन करोड़ अठहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रति कार्य रू0 0.01 लाख अर्थात कुल ₹ 0.24 लाख (₹ चौबीस हजार मात्र) के व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- प्रथम स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:- 1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट मे स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7- स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स--2008 तथा उक्त विषय के सम्बन्ध में समय--समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

8- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV--219(2006) दिनांक 30-05--2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

पत्रांक 112/199 ...

6

A 2.2.2

| | 02 | | | 05 |
|---|---|---|---|---|
| 1– | जनपद [illegible] में [illegible] क्षेत्र–[illegible] कोट के अन्तर्गत [illegible] निर्माण | 5.00 | [illegible] | 0.01 |
| 2– | [illegible] कपकोट के अन्तर्गत [illegible] में [illegible] से सोमाकुण्ड तक [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण | 5.00 | 63.60 | 0.01 |
| 3– | जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–सहसपुर के अन्तर्गत कारगिल शहीद सुरेन्द्र सिंह मार्ग तलपुर चौक से हरबंसवाला तक चौडीकरण 1 लेन मार्ग निर्माण। | 2.65 | 0.52 | 0.01 |
| 4– | जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–सहसपुर के अन्तर्गत जनपद देहरादून में शिमला बाईपास के रतनपुर चौक से रमेश चन्द घिल्डियाल के मोहल्ले तक मार्ग का निर्माण। | 1.00 | 0.31 | 0.01 |
| 5– | जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–सहसपुर के अन्तर्गत रतनपुर चौक से मल्हान तक मार्ग निर्माण। | 0.50 | 0.15 | 0.01 |
| 6– | जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–सहसपुर के अन्तर्गत मल्हान में श्री जनवाल के घर से जंगलात चौकी तक मार्ग निर्माण। | 0.30 | 0.09 | 0.01 |
| 7– | जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–सहसपुर के अन्तर्गत ठाकुरपुर में आन्तरिक मार्गों का निर्माण। | 0.80 | 0.24 | 0.01 |
| 8– | जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–सहसपुर के अन्तर्गत आरकेडिया के अन्तर्गत आन्तरिक मार्गों का निर्माण। | 0.80 | 0.24 | 0.01 |
| 9– | जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–सहसपुर के अन्तर्गत चन्द्रबनी में अमरनाथ शिवाल्य आश्रम मार्ग निर्माण। | 0.60 | 0.18 | 0.01 |
| 10 | जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–सहसपुर के अन्तर्गत उम्मेदपुर में मुख्य मार्ग से बायी तरफ पंवार महोल्ला तक मार्ग निर्माण। | 0.85 | 0.26 | 0.01 |
| 11 | जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–सहसपुर के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल देवीपुर से परवल मस्जिद तक मार्ग को पक्का करना। | 0.55 | 0.17 | 0.01 |
| 12 | जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–सहसपुर के अन्तर्गत कारबारी मिल चौकी में मुख्य मार्ग से गैरोला जी के घर तक मार्ग निर्माण। | 0.50 | 0.17 | 0.01 |
| 13 | जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र–सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम शेरपुर में मुख्य मार्ग से शिव मन्दिर सेलाकुई सम्पर्क मार्ग को पक्का करना। | 0.50 | 0.17 | 0.01 |
| 14 | जनपद नैनीताल में कालाढूँगी वन निगम गेट से अनुसूचित जाति बाहुल्य गुलजारपुर बंकी 20 मीटर स्पान आर0सी0सी0 पुल एवं सम्पर्क मार्ग का निर्माण एंव डामरीकरण। | 3.50 किमी0 + 20 मी0 स्पान पुल | 5.63 | 0.01 |
| 15 | जनपद नैनीताल में कालाढूँगी–रूद्रपुर मार्ग में चॉदनीचौक में सम्पर्क मार्ग निर्माण। | 2.00 | 3.20 | 0.01 |